दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

प्रस्तावित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी–एच०डी०) अध्यादेश

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी–एच०डी० उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009' को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, द्वारा दिनांक 1 जून 2009 को निर्गत किया गया, जो भारत के राज्यपत्र सं०–28 (साप्ताहिक) जुलाई 11–जुलाई 17, 2009 में प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त विनियम भारत के राज्य पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू है। प्रकरण की आत्यंतिक प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय पत्रांक – 221/कुलपति/आदेश/2009 दिनांक 21/12/2009 के संदर्भानुसार उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13(6) के अन्तर्गत उक्त विनियम के दिशा–निर्देशों एवं मानकों को दिनांक 21/12/2009 को अंगीकार कर लिया गया था, जिसे विश्वविद्यालय की विद्या परिषद एवं कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इस क्रम में विनियम–2009 में प्रदत्त प्रावधानों एवं मानकों को दृष्टिगत रखकर पी–एच०डी० शोध अध्यादेश में संयुक्त शोध उपाधि समिति द्वारा गठित अधिष्ठाताओं की उपसमिति द्वारा यथोचित संशोधन/समाविष्ट किया गया है। इस अध्यादेश के होते हुए विश्वविद्यालय दूरस्थ माध्यम से पी–एच०डी० पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेगा। तदनुसार पी–एच०डी० शोध अध्यादेश **निम्नवत है :–**

1. **डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी–एच०डी०) की उपाधि के लिए शोध अभ्यर्थियों का प्रवेश–**
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा संचालित किसी विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के लिए अभ्यर्थी को अनिवार्यतः सम्बन्धित विषय में इस विश्वविद्यालय की परास्नातक की उपाधि अथवा इस विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान की समतुल्य उपाधि धारित करनी चाहिए।

2 (अ) पी–एच०डी० पाठ्यक्रम में प्रवेश, शोध पात्रता परीक्षा (Research Eligibility Test-RET), जो कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य प्रवेश परीक्षाओं के साथ नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष संचालित होगी, द्वारा सम्पन्न होगा। शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अभ्यर्थी कुलसचिव द्वारा निर्गत शोध पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि से एक वर्ष के भीतर, शोध पंजीकरण के लिए अर्ह होगा। मात्र उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही विषय से सम्बन्धित 'शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee-RDC)' द्वारा नियुक्त शिक्षक के निर्देशन में समस्त मानकों एवं औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त पंजीकृत किये जायेंगे।

(ब) शोध पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हताएं निम्नलिखित होंगी–

(i) योग्यता प्रदायी परास्नातक परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियो के लिए 55 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, दृष्टि–बाधित व शारीरिक रुप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंक।

(ii) स्नातक स्तर पर द्वितीय श्रेणी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर लागू नियमों के अनुसार।

(स) जो अभ्यर्थी नेट/गेट/यू०पी०स्लेट/यू०जी०सी०/सी०एस०आई० आर० (जे०आर०एफ०/एम०फिल०) उत्तीर्ण है/राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा द्वारा एम० फिल० उपाधि धारक अभ्यर्थी हैं, वे शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे।

जो शिक्षक अध्येतावृत्तिया धारक हैं, अथवा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर और इससे सम्बद्ध/सम्पृक्त/संघटक महाविद्यालयों में शिक्षक हैं, वे शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे। अननुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षक शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त नहीं होंगे।

(द) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों के शिक्षक और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रतिरक्षा कर्मी/अधिकारी भी शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे।

(य) शोध पात्रता परीक्षा से विदेशी नागरिक भी मुक्त होंगे, यदि :

(i) अभ्यर्थी अपने दूतावास/उच्चायोग द्वारा संस्तुत किये गये हों।

(ii) उस स्क्रीनिंग समिति, जिसमें सम्बन्धित विषय में विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष और दो ऐसे वरिष्ठ शिक्षक हों, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया गया हो, ने उस अभ्यर्थी को पात्र घोषित किया हो।

(र) विदेशी छात्र/प्रवासी भारतीय के शुल्क का ढांचा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ल) प्रत्येक विषय में शोध पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर का होगा, जिसके लिए मानक विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय समय–समय पर अन्य मानक तय कर सकता हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा शासन के आदेश व शर्तों के विपरीत न हों।

3. **शोध प्रवेश प्रक्रिया –**

(i) पहले से सुनिश्चित की गई की संख्या पर ही अर्ह अभ्यर्थियों को पी–एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ii) अर्ह अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग/संस्था/शोध केन्द्र/स्कूल द्वारा जैसा मामला हो एक साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शोध अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शोध रुचि/क्षेत्र पर समुचित विचार–विमर्श करें।

अर्ह अभ्यर्थी प्रवेश के लिए, निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष के समक्ष अपनी योग्यता और अन्वेषण के निमित्त प्रस्तावित विषय का विवरण प्रस्तुत करते हुए आवेदन करेंगे, जिसके साथ उन्हें अपना शोध प्रस्ताव/संक्षेपसार (Synopsis) शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee-RDC) की स्वीकृति के लिए संलग्न करना होगा।

प्रत्येक विभाग/संस्था/शोध केन्द्र/स्कूल द्वारा पी०एच०डी० प्रोग्राम में प्रवेश, आरक्षण (Reservation) नियमों का अनुपालन करते हुए किये जायेंगें।

अर्ह अभ्यर्थी किसी शिक्षक के निर्देशन में तभी पंजीकृत होंगें, जब उनका शोध प्रस्ताव/संक्षेप सार विभागीय समिति और तदोपरि शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee-RDC) द्वारा स्वीकृत किया गया हो। वे अपने शोध क्षेत्र में चयनित विषय शीर्षक/उप–शीर्षक (Title/Sub-Title) के संक्षेप सार/प्रस्ताव में पूर्व पी–एच०डी० तैयारी पाठ्यक्रम कार्य (Pre-Ph.D. Course work) के दौरान शोध उपाधि समिति की स्वीकृति से आंशिक संशोधन कर सकते है, उसके उपरान्त नहीं।

पूर्व पी–एच०डी० पाठ्यक्रम कार्य (Pre-Ph.D. Course Work):

(अ) प्रवेशीकरण के पश्चात् प्रत्येक पीएच.डी. शोध अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय में सम्बन्धित विभाग/विषय में न्यूनतम एक (1) सेमेस्टर की अवधि तक का पाठ्यक्रम कार्य करना होगा। यह पाठ्यक्रम कार्य पूर्व–पी–एच.डी. की तैयारी (Pre-Ph.D. Preparation) का माना जाएगा और जो निश्चित रूप से शोध पद्धति का पाठ्यक्रम होगा जिसमें परिमाणात्मक पद्धति एवं कम्प्यूटर प्रयोग शामिल होगा। इसमें उपर्युक्त चयनित शोध क्षेत्र में किए गये शोध प्रकाशनों की समीक्षा भी शामिल है।

(ब) प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम कार्य (Course work) न्यूनतम 6 माह का होगा, जिसका प्रारूप निम्नवत होगा:

(i) प्रथम प्रश्न–पत्र : सम्बन्धित शोध पद्धति (Research Methodology) एवं चयनित विषय से सम्बन्धित शोध प्रकाशनों की समीक्षा (Review of Published Literature)। यह प्रश्न–पत्र 50 अंक का होगा।

(ii) द्वितीय प्रश्न–पत्र : कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Computer Applications) जो 50 अंक का होगा। प्रत्येक सेमेस्टर के दौरान कम्प्यूटर अनुप्रयोग में आधारभूत ज्ञान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायेगा।

(iii) प्रत्येक शोधार्थी को अनिवार्य रुप से पाठ्क्रम कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा, जिसमें उसकी उपस्थिति किसी भी दशा में 75% से कम नहीं।

(iv) सेमेस्टर का पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा संकायाध्यक्ष के संयोजकत्व में सम्बन्धित संकाय के सभी विभागों के स्तर पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। सम्बन्धित विषयों में उपलब्ध फैकल्टी की विशेषज्ञता के आधार पर आन्तरिक/बाह्य मूल्यांकन के उपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। उत्तीर्णांक स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य होगा।

(v) यदि कोई शोधार्थी पूर्व–पीएच०डी० पाठ्यक्रम परीक्षा में प्रथम प्रयास में असफल हो जाता है, तो उसे एक अवसर अग्रेतर परीक्षा के साथ और प्राप्त होगा। उसके बाद कोई अन्य अवसर नहीं दिया जा सकेगा।

(vi) परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों के मुद्रण, परिसीमन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा करायी जायेगी।

4. अध्ययन के प्रत्येक विषय से सम्बन्धित एक 'शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee-RDC)' होगी जो इसके अध्यक्ष कुलपति, सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता तथा सम्बन्धित विषय के विभागध्यक्ष द्वारा गठित होगी।

शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee-RDC) अभ्यर्थी और उसके शोध प्रस्ताव की उपयुक्तता सुनिश्चित करते समय सम्बन्धित संकाय द्वारा सम्बन्धित विषय में एक वर्ष के लिए नामित दो विशेषज्ञों की राय ले सकती हैं। ये विशेषज्ञ या तो 'शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee-RDC)' की बैठक में उपस्थित हो सकते है अथवा समिति के विचारार्थ अपना लिखित मत सम्प्रेषित कर सकते हैं।

यदि समिति सन्तुष्ट है कि प्रस्तावित विषय ऐसा है, जिस पर शोध विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निर्देशक के निरीक्षण में भलीभाँति सम्भव है और अभ्यर्थी अपेक्षित योग्यता और क्षमता सम्पन्न है तो वह अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगी और इस विश्वविद्यालय अथवा इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी वित्तीय सहायता प्राप्त सम्बद्ध महाविद्यालय के परास्नातक विभाग के नियमित और स्थायी शिक्षक को अभ्यर्थी के शोध निर्देशन के लिए नियुक्त करेगी। 'शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee-RDC)' का कार्यवृत्त सम्बन्धित विषय के संकाय की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

5. शोध निर्देशक अथवा सह–निर्देशक की न्यूनतम योग्यताएं निम्नलिखित होंगी :

(अ) सम्बन्धित विषय में परास्नातक उपाधि के साथ विश्वविद्यालय/इससे सम्बद्ध किसी वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के परास्नातक विभाग के नियमित और स्थायी शिक्षक के रूप में परास्नातक कक्षाओं में न्यूनतम 7 वर्ष का शिक्षण अनुभव हों।

(ब) उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित विषय में एक प्रकाशित शोध कृति अथवा निर्दिष्ट पत्रिकाओं (Referred Journals) में न्यूनतम दो शोध–पत्र प्रकाशित हों।

(अ) सम्बन्धित विषय में पी–एच०डी० उपाधि के साथ विश्वविद्यालय अथवा इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परास्नातक महाविद्यालय में परास्नातक कक्षाओं में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

(ब) उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित विषय में एक प्रकाशित शोध कृति अथवा निर्दिष्ट पत्रिकाओं (Referred Journals) में न्यूनतम दो शोध–पत्र प्रकाशित हों।

अथवा

सम्बन्धित विषय में पी–एच०डी० उपाधि के साथ सम्बन्धित संकाय की संस्तुति के उपरान्त 'विद्या परिषद्' द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शोध संस्थान में पी–एच०डी० उपाधि की प्राप्ति के उपरान्त 10 वर्ष के परा–शोध कार्य (Post-Doctoral Research) का अनुभव हों।

6. (अ) एक समय में एक निर्देशक के निर्देशन में पंजीकृत शोध छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय के आचार्य के सन्दर्भ में आठ, उपाचार्य के सन्दर्भ में छः और प्रवक्ता के सन्दर्भ में चार तथा सम्बद्ध महाविद्यालय के परास्नातक विभाग के शिक्षक के सन्दर्भ में चार तक सीमित होगी।

(ब) अवकाश प्राप्त शिक्षक भी 70 वर्ष की वय प्राप्ति तक शोध निर्देशन कर सकते हैं, किन्तु उनके अन्तर्गत एक समय में मात्र दो छात्रों का पंजीकरण हो सकता है।

(स) शोध वैज्ञानिकों को भी शोध निर्देशन के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है, किन्तु एक समय में उनके अन्तर्गत पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या अनिवार्यतः आचार्य स्तर के वैज्ञानिक के लिए चार, उपाचार्य स्तर के वैज्ञानिक के लिए तीन तथा प्रवक्ता स्तर के वैज्ञानिक के लिए दो होंगी।

7. (अ) अभ्यर्थी अपने निर्देशक के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रत्येक छः महीने पर अपने शोध कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(ब) अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने से पूर्व अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग के सदस्यों के समक्ष शोध प्रबन्ध की 'पूर्व प्रस्तुत' सम्पन्न करनी होगी।

8. (अ) इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अभ्यर्थी कम से कम 24 महीने के लिए शोध कार्य सम्पन्न करेगा। इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सम्पृक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सन्दर्भ में आवासावधि छः महने तक घटायी जा सकती है।

टिप्पणी : इस विश्वविद्यालय अथवा इससे सम्बद्ध/सम्पृक्त/संघटक महाविद्यालय का शिक्षक इस अध्यादेश के उद्देश्यों के सन्दर्भ में छात्र माना जायेगा।

(ब) चयनित अभ्यर्थियों के लिए शोध निर्देशकों का विनियोजन (Allocation of Supervisors) औपचारिक तरीके से विभागों द्वारा निर्धारित किया जायेगा जो कि अर्ह अभ्यर्थियों एवं संकाय सदस्य की संख्या, उपलब्ध संकाय, निर्देशकों की विशेषज्ञता एवं अभ्यर्थियों के शोध–रुचि पर आधारित होगा। व्यक्तिगत छात्र/छात्रा एवं शिक्षक पर निर्देशक का आवंटन/विनियोजन नहीं छोड़ा जाएगा। आवंटन/विनियोजन में विशेषज्ञता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

9. अपवाद स्वरूप अभ्यर्थी किसी ऐसे शोध संस्थान अथवा अन्य विश्वविद्यालय में अपना शोध कार्य कर सकता है जो कि सम्बन्धित विषय में इस उद्देश्य के निमित्त, सम्बन्धित संकाय की सहमति से विद्या परिषद् द्वारा अनुमन्य है। ऐसी स्थिति में 'शोध उपाधि समिति' उक्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से ऐसा सह–निर्देशक नियुक्त कर सकती है, जो निर्देशक के साथ अभ्यर्थी का शोध कार्य सम्पन्न करायेगा बशर्ते कि सह– निर्देशक किसी वित्त–प्रदायी संस्था द्वारा प्रदत्त किसी शोध प्रकल्प में कार्यरत हो अथवा उसने विगत पाँच वर्षों में निर्दिष्ट/सन्दर्भ योग्य शोध पत्रिकाओं (न्यूनतमक श्रवनतदंसे) में अपना शोध कार्य प्रकाशित किया हो और महाविद्यालय ने अवसंरचनात्मक सुविधाओं को प्रदान करने के निमित्त अनापत्ति पत्र निर्गत किया हो।

10. अन्तर्शास्त्रीय शोध (Interdisciplinary Research) के लिए अभ्यर्थी का निर्देशक तो मुख्य विषय का होगा तथा एक सह–निर्देशक सहायक विषय का होगा, जिसे संयुक्त शोध उपाधि समिति (Joint Research Degree Committee-JRDC) ने मान्य किया हो।

11. इस विश्वविद्यालय में नियुक्त होने के पूर्व, किसी शिक्षक के निर्देशन में अन्य विश्वविद्यालय/शोध संस्थान में शोध कार्य सम्पन्न करने वाले अभ्यर्थी को इस विश्वविद्यालय में शोध छात्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि वह विश्वविद्यालय के समक्ष इस उद्देश्य के निमित्त आवेदन प्रस्तुत करे और उसका स्थानान्तरण विश्वविद्यालय को मान्य हो। तदुपरान्त उसे इस विश्वविद्यालय में नामांकित किया जायेगा और उसके पिछले शोध कार्य की अवधि को विश्वविद्यालय के विवेक पर परिगणित किया जा सकता है।

12. प्रवेश की तिथि से एक वर्ष के भीतर अभ्यर्थी निर्देशक की संस्तुति पर 'शोध उपाधि समिति' की स्वीकृति के उपरान्त अपने शोध प्रबन्ध का शीर्षक संशोधित कर सकता है।

13. **(अ)** पाठ्यक्रम कार्य एवं शोध पद्धति को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् जो पी–एच०डी० कार्यक्रम का एक अंग है, पीएच.डी. शोधार्थी, शोध कार्य को निर्धारित कार्य योजना के अनुसार आगे बढ़ायेगा। एक अभ्यर्थी से सामान्यतया अपेक्षित है कि पी–एच०डी० शोध छात्र के रूप में प्रवेश की तिथि से तीन वर्ष के भीतर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करे, किन्तु किसी भी दशा में 24 माह से पूर्व नहीं।

(ब) पंजीकरण की अधिकतम सीमावधि तीन वर्ष की होगी, किन्तु निर्देशक, सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता और सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति इस सीमावधि को अधेकतम एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। बशर्ते कि निर्देशक यह प्रमाण पत्र निर्गत करें कि शोध कार्य सम्पन्न हो चुका है और शोध के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण व्यावहारिक कार्यसारिणी को सम्पन्न करने के निमित्त एक वर्ष का सम्भावित समय लगेगा। किसी भी दशा में अधिकतम सीमावधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(स) पी–एच०डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकरण के तीन वर्ष समाप्त होने पर यह मान लिया जायेगा कि एक स्थान रिक्त हो गया है और उस (रिक्त स्थान पर) सम्बन्धित विषय के उसी निर्देशक के अन्तर्गत पी–एच०डी० के लिए नये अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जा सकता है।

(द) यदि पंजीकरण के उपरान्त चार वर्षों के भीतर अभ्यर्थी अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो सामान्यतया उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा, किन्तु निरस्तीकरण के दो वर्ष के भीतर उसका इस शर्त पर पुनः पंजीकृत किया जा सकता है कि वह पुनः पंजीकरण (Re-registration) से एक वर्ष के भीतर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर देगा। यदि इस पर भी वह अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है तो उसका पुनः पंजीकरण भी व्यपगत हो जायेगा।

14. सामान्यतया अभ्यर्थी के इस आवेदन पर कि सम्भावित है कि वह अपना शोध प्रबन्ध छः महीने के भीतर प्रस्तुत कर देगा, उसका निर्देशक पाठ्यक्रम समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु विभागाध्यक्ष के समक्ष शोध प्रबन्ध के परीक्षण के लिए छः परीक्षकों का एक पैनेल प्रस्तावित करेगा, जिसमें निर्देशक/सह–निर्देशक के नाम के अतिरिक्त पाँच नाम उन बाह्य परीक्षकों के होंगे, जिनका पद विश्वविद्यालय आचार्य का होगा अथवा जो सम्बन्धित विषय के ख्यातिलब्ध अध्येता होंगे। इन बाह्य परीक्षकों में दो अनिवार्यतः राज्य के बाहर के होंगे। यह विश्वविद्यालय पर निर्भर होगा कि एक परीक्षक देश के बाहर का हो।

निर्देशक के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पाठ्यक्रम समिति, शोध उपाधि समिति/ परीक्षा समिति के अध्यक्ष कुलपति के समक्ष परीक्षकों का उक्त पैनेल प्रस्तुत करेगी (जिसमें निर्देशक सहित छः परीक्षकों से अधिक के नाम नहीं होंगे)। कुलपति तीन परीक्षक नियुक्त करेंगे, जिसमें एक परीक्षक निर्देशक होगा।

यदि किसी दशा में कोई परीक्षक शोध प्रबन्ध का परीक्षण नहीं कर पाता अथवा मौखिक परीक्षा में अभ्यर्थी का परीक्षण नहीं कर सकता तो पैनेल से दूसरे परीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

केवल उन्हीं बाह्य परीक्षकों का नाम संस्तुत किया जायेगा, जिन्होंने सम्बन्धित शोध क्षेत्र में कार्य किया हो और/अथवा सम्बन्धित शोध क्षेत्र में शोध हेतु मार्गदर्शन किया हो।

15. **शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करने के पूर्व शोधार्थी को विभाग/शोध केन्द्र में एक पूर्व–पी–एच०डी० प्रस्तुतीकरण करना पड़ेगा जो कि समस्त संकाय सदस्यों एवं शोध छात्रों के लिए खुला होगा ताकि टिप्पणियां एवं सुझाव प्राप्त हो सकें जिनको निर्देशक (Supervisor) के निर्देश पर, ड्राफ्ट शोधप्रबन्ध में सम्मिलित किया जा सके।**

शोध प्रबन्ध के पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी निर्देशक और विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से शोध प्रबन्ध की चार मुद्रित अथवा टंकित प्रतियां विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग में, निर्देशक के इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ जमा करेगा कि यह शोध कार्य उसके निर्देशन में सम्पन्न हुआ है और यह शोधार्थी का स्वयं का मौलिक कार्य है और उसने निर्धारित अवधि तक कार्य किया है।

16. पूर्णरूपेण व्यवस्थित शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करने के पूर्व शोधार्थी अपना एक शोध पत्र निर्दिष्ट पत्रिका (Referred Journal) में प्रकाशित कराएगा एवं रीप्रिंट या स्वीकृत पत्र के रूप में उनको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेगा।

17. अपने शोध प्रबन्ध में अभ्यर्थी इसी विषय से सम्बन्धित अपनी किसी प्रकाशित कृति को समाविष्ट कर सकता है। उसे यह घोषित करना पड़ेगा कि उक्त कृति को कितना अंश शोध प्रबन्ध में समाविष्ट किया गया है। कोई ऐसी कृति, जिसके लिए अभ्यर्थी को इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त हुई है, उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

18. परीक्षक शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन करेंगे और अपनी आख्या अलग–अलग प्रस्तुत करेंगे। आख्या प्रदान करने के पूर्व वे एक दूसरे से विमर्श कर सकते हैं। अपनी आख्या प्रस्तुत करने के पूर्व परीक्षक को संतुष्ट होना पड़ेगा कि–

(अ) कार्य, शोध की ऐसी कृति है जिसकी विशिष्टता या तो नये तथ्यों का अन्वेषण है अथवा ज्ञात तथ्यों अथवा सिद्धान्तों की व्याख्या के प्रति नया उपागम है। उक्त किसी स्थिति में शोध प्रबन्ध से अभ्यर्थी की समीक्षात्मक परीक्षण और परिपक्व निर्णय की क्षमता परिलक्षित होती है और,

(ब) जहाँ तक इसकी साहित्यिक प्रस्तुति का सम्बन्ध है, शोध प्रबन्ध आश्वस्तकारी भी है तथा यह प्रकाशन के उपयुक्त है।

शोध प्रबन्ध को बेहतर बनाने के निमित्त परीक्षक ऐसे सुझाव दे सकते हैं जो उनकी दृष्टि में उपयुक्त हों। शोधार्थी को ऐसे सुझाव सम्प्रेषित कर दिये जायेंगे।

19. परीक्षक शोध प्रबन्ध पढ़ने के उपरान्त, अलग–अलग संस्तुत करेंगे कि शोध प्रबन्ध को स्वीकार किया जाय अथवा अस्वीकार किया जाय अथवा अभ्यर्थी को इस बात की अनुमति प्रदान की जाय कि वह संशोधित रूप में अपने शोध प्रबन्ध को पुनः प्रस्तुत करें। परीक्षक अपनी आख्या इस उद्देश्य के निमित्त निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करेंगे।

20. यदि सभी परीक्षक सर्वसम्मति से यह आख्या देते हैं कि शोध प्रबन्ध संतोषप्रद है तो रिसर्च डिग्री समिति कुलसचिव को निर्देशित करेगी कि वे यथाशीघ्र अभ्यर्थी की मौखिक परीक्षा की व्यवस्था करें।

21. परीक्षकों के आपसी मतभेद की दशा में, परीक्षकों की आख्यायें एक दूसरे को सम्प्रेषित की जायेंगी और वे उस परिप्रेक्ष्य में अपनी आख्यायें संशोधित रूप में भेज सकेंगे।

22. परीक्षकों के बीच आख्याओं के आदान–प्रदान के उपरान्त, यदि किसी परीक्षक का यह मत है कि शोध प्रबन्ध संशोधित किया जाय, पर किसी की यह धारणा नहीं है कि शोध प्रबन्ध अस्वीकृत किया जाय, तो शोध उपाधि समिति के निर्णय की तिथि से छः माह के अन्दर अभ्यर्थी इसे संशोधित रूप में पुनः प्रस्तुत कर सकता है। संशोधित शोध प्रबन्ध यथासम्भव उन्हीं परीक्षकों द्वारा पुनः परीक्षित किया जायेगा। यदि उन परीक्षकों में से कोई एक शोध प्रबन्ध को अस्वीकृत करता है तो इसके पुनः प्रस्तुतीकरण की आज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी और इस सम्बन्ध में आगे कोई और कार्यवाही नहीं की जायेगी।

23. मौखिक परीक्षा के परीक्षक अपनी आख्या में स्पष्ट अल्लिखित करेंगे–

(अ) यह कि अभ्यर्थी विषय से सम्बन्धित साहित्य से परिचित है।

(ब) यह कि शोध प्रबन्ध सही अर्थों में अभ्यर्थी की कृति है और

(स) यह कि अभ्यर्थी में समीक्षात्मक परीक्षण और परिपक्व निर्णय की क्षमता परिलक्षित होती है।

24. शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित आख्यायें और मौखिक परीक्षकों की आख्यायें रिसर्च डिग्री समिति के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

25. यदि मौखिक परीक्षकों की संस्तुति शोध प्रबन्ध के परीक्षकों की संस्तुति से भिन्न है, अथवा मौखिक परीक्षकों में स्वयं में ही आपस में मतभेद है तो संकाय अभ्यर्थी को एक वर्ष के भीतर शोध प्रबन्ध पुनः प्रस्तुत करने अथवा दूसरी मौखिक परीक्षा के समक्ष पुनः उपस्थित होने की अनुमति प्रदान कर सकता है। किसी भी अभ्यर्थी को एक बार से अधिक शोध प्रबन्ध को पुनः प्रस्तुत करने अथवा मौखिक परीक्षा में पुनः उपस्थित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

26. यदि कोई अभ्यर्थी निर्देशक एवं विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षकों की आख्याओं की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए लिखित आवेदन करता है तो उसे उसके सूचनार्थ वे आख्यायें प्रदान की जायेंगी।

27. शोध प्रबन्ध के प्रकाशन की दशा में अभ्यर्थी को मुखपृष्ठ पर यह उल्लिखित करना पड़ेगा कि यह शोध प्रबन्ध दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की पी–एच०डी० उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया है।

उपाधि के साथ, विश्वविद्यालय अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उपाधि को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों एवं विनियमों के अनुरूप प्रदान किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास न्यासः

पी–एच०डी० देने की घोषणा के पश्चात्, विश्वविद्यालय पी–एच०डी० के शोधप्रबन्ध की सॉफ्ट प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रेषित करेगा ताकि उसको इन्फिलिबनेट (Inflibnet) पर डाल कर उसको समस्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जा सके।

२८. शोध हेतु निर्धारित शुल्क :

विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित (विहित) शुल्क लिया जायेगा। शोधरत छात्रों द्वारा प्रवेश के [illegible] माह का शुल्क (वार्षिक प्रवेश के साथ) देय होगा। जो अभ्यर्थी किसी प्रकल्प/योजना में, किन्तु पी–एच०डी० उपाधि के लिए नहीं, कार्यरत हैं उन्हें अन्य शुल्क के अतिरिक्त निर्देशन और/अथवा प्रयोगशाला की सुविधाओं के लिए रू० 250–00 प्रति माह देना पड़ेगा। प्रवेश के समय निम्नांकित मद का शुल्क लेखा विभाग द्वारा लिया जायेगा।

वार्षिक शुल्क

कला/विधि/शिक्षा/वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थियों के लिए	
विकास शुल्क	रु० 100.00
यूनियन शुल्क	रु० 50.00
डेलीगेसी शुल्क	रु० 50.00
परिचय पत्र	रु० 50.00
पत्रिका	रु० 50.00
क्रीड़ा	रु० 50.00
पुस्तकालय	रु० 50.00
निर्धन छात्र कोष	रु० 50.00
पंखा शुल्क	रु० 50.00
मेडिकल शुल्क	रु० 22.00
साईकिल शुल्क	रु० 50.00
काशन मनी	रु० 50.00
कक्षा शुल्क	रु० 900.00
चुनाव शुल्क	रु० 35.00
मंहगाई शुल्क	रु० 138.00
योग रु०	रु० 1895.00

विज्ञान/कृषि संकाय के अभ्यर्थियों के लिए	
विकास शुल्क	रु० 100.00
यूनियन शुल्क	रु० 50.00
डेलीगेसी शुल्क	रु० 50.00
परिचय पत्र	रु० 50.00
पत्रिका	रु० 50.00
क्रीड़ा	रु० 50.00
पुस्तकालय	रु० 150.00
निर्धन छात्र कोष	रु० 50.00
पंखा शुल्क	रु० 50.00
मेडिकल शुल्क	रु० 22.00
साईकिल शुल्क	रु० 50.00
काशन मनी	रु० 200.00
कक्षा शुल्क	रु० 900.00
चुनाव शुल्क	रु० 35.00
मंहगाई शुल्क	रु० 138.00
लैब शुल्क	रु० 500.00
योग रु०	रु० 2445.00

प्रति माह शुल्क–
रु०150 + रु०23 = रु०173/–

प्रति माह शुल्क–
रु०150 + रु०23 + रु०85 = रु०258/–

शोध प्रबंध शुल्क	=	रु० 2250.00/–
नामांकन शुल्क बाहरी छात्रों के लिये	=	रु० 100.00/–
विश्वविद्यालय का छात्र होगा	=	रु० 3/– देय होगा।
रिसर्च साइंटिस्ट/प्रोजेक्ट फेलोशिप प्राप्त करने वाले	=	रु० 250/– प्रतिमाह
शिक्षण शुल्क वार्षिक	=	रु० 1800/–
प्रयोगशाला शुल्क वार्षिक	=	रु० 1000/–
प्रयोगशाला शुल्क वार्षिक 1 माह पर	=	रु० 85/–
मंहगाई शुल्क	=	रु० 23/– प्रतिमाह

नोट : शुल्क में कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय की वित्त समिति की संस्तुति एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार होगा।

29. (अ) यदि कोई शोध छात्र 24 महीने के अनन्तर भी अपना शोध कार्य कर रहा है तो जब तक शोध प्रबन्ध प्रस्तुत नहीं करता, तब तक वह मासिक शिक्षण शुल्क देता रहेगा। शोध कार्य करने की अनुमति मिलने के उपरान्त शोध कार्य की अवधि उस तिथि से निर्धारित की जायेगी, जिस तिथि को शोध छात्र ने विश्वविद्यालयीय शुल्क जमा किया है।

किन्तु इस विश्वविद्यालय अथवा इससे सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक, कर्मचारी 24 महीना पूरा होने पर शैक्षणिक शुल्क और प्रयोगशाला शुल्क से मुक्त होंगे।

(ब) प्रत्येक परीक्षक को शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिए रू० 500.00/– और मोखिक परीक्षा में अभ्यर्थी के मूल्यांकन के लिए रू० 400.00/– प्रदान किया जायेगा।

30. उस अभ्यर्थी के पंजीकरण को निरस्त करने का विश्वविद्यालय का अधिकार सुरक्षित रहेगा जो उल्लिखित नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करता हो।

(प्रो० एम० एम० त्रिवेदी)
अधिष्ठाता, कला संकाय
(सदस्य)

(प्रो० पी०सी० शुक्ला)
अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
(सदस्य)

(प्रो० अशोक कुमार श्रीवास्तव)
अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय
(सदस्य)

(प्रो० अरविन्द मिश्र)
अधिष्ठाता, विधि संकाय
(सदस्य)

(प्रो० राजेन्द्र प्रसाद)
अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
(संयोजक
पी–एच०डी० अध्यादेश
उप–समिति)

(एम०एम० अंसारी)
कुल सचिव
(सदस्य सचिव)
सदस्य